

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-1/II/III) वेतनमान (9300-3-4800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	सुरेन्द्रपाल गुप्ता, राउमावि, उत्तमसिंह वाला जिला हनुमानगढ	प्रधानाचार्य	24-05-1958	23-07-1983	30 YEAR	22-07-2013	23-07-2013	6800/-
2	श्रीमती सुनिता यादव, राउमावि, माणकसर संगरिया (हनुमानगढ)	प्रधानाचार्य	08-05-1995	25-10-1994	20 YEAR	24-10-2014	25-10-2014	6000/-
3	राजेन्द्र सिंह यादव, राउमावि, जण्डावाली जिला हनुमानगढ	प्रधानाचार्य	02-07-1959	13-10-1984	30 YEAR	12-10-2014	13-10-2014	6800/-
4	श्रीमती दीपा शुक्ला, राज० पन्ना चि० उमावि, सीकर	प्रधानाचार्य	02-10-1968	07-10-1995	20 YEAR	06-10-2015	07-10-2015	6800/-
5	दयाशंकर अरड़ावतिया, राउमावि, गोठड़ा वर्तमान जिशिअ, (मा) बीकानेर	प्रधानाचार्य	10-10-1962	28-09-1993	20 YEAR	27-09-2013	28-09-2013	6800/-

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 30-4-18

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-7/एसीपी/बीका/चूरु/अज/2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
2. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
3. संबंधित अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



संयुक्त निदेशका (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित करियर प्रगति) वेतन ब्रेण्ड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृष्ण कुमार तलवार, डाईट, अलवर	19.07.63	भौतिक	23.12.92	डीपीसी	20 वर्ष	4800	23.12.12
2.	हेमन्त नागर, कड़ोदिया (झालावाड़)	11.11.68	भौतिक	19.07.95	पीएससी	20 वर्ष	6000	19.07.15
3.	अमृतलाल कलाल, डूंगरपुर	12.02.65	भौतिक	09.10.92	डीपीसी	20 वर्ष	4800	09.10.12
4.	मूलचन्द त्यागी, ढाबा झल्लार (श्रीगंगानगर)	30.06.67	भौतिक	22.02.91	पीएससी	20 वर्ष	5400	22.02.11
5.	राजेश जैन, सावर (अजमेर)	22.04.74	भौतिक	11.12.96	डीपीसी	20 वर्ष	5400	11.12.16
6.	मदनलाल, बहाना (झुन्डुनू)	10.10.70	भौतिक	01.07.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	01.07.17
7.	अजीत सिंह, नवीन, जोधपुर	02.05.61	गणित	01.07.87	डीपीसी	30 वर्ष	6000	01.07.17
8.	उपमा द्विवेदी, कल्याणपुर (बाड़मेर)	12.03.70	भौतिक	01.07.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	01.07.17
9.	दिगम्बर सिंह भाण्डारेज दौसा	03.01.56	भौतिक	01.07.82	डीपीसी	30 वर्ष	5400	01.07.12
10.	अशोक कुमार सोनी शिकारपुरा, जोधपुर	21.01.73	भौतिक	18.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	18.09.17

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित करियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।


(नथमल डिलेल)


I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 30/4/18

क्रमांक: शिथिरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/2015
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
4. शिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निर्जा/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-20 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन ब्रेण्ड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रमाकान्त मिश्रा, परसरामपुरा (झुन्झुनू)	16.10.58	भौतिक	20.11.85	अनुदानित से स्क्रीण्ड	30 वर्ष	6600	20.11.15

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।




(नथमल डिडेल
आई.ए.एस.)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 30/11/18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगकृ/आरवीआरईएस/वो-11/2014
 प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली


 सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर